मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट कब्जाने पर आमादा जजों की ओर से भी बचाव अभियान

अजात शत्रु

सुप्रीम कोर्ट को कब्जाने के अपने नापाक अभियान को जारी रखते हुए मोदी सरकार ने एक और चाल चली है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को सरकार ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वह उस सैशन जज के खिलाफ़ नये सिरे से जांच करवाये जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट का जज बनाने के लिये दो बार अनुमोदित कर चुका है।

पूरा किस्सा इस प्रकार है

कर्नाटक के एक सैशन जज का नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे गये प्रमोशन पैनल में था। लेकिन कॉलेजियम उनकी प्रमोशन के बारे में कोई निर्णय लेता उससे पहले उन जज साहिब के खिलाफ़ किसी महिला जज ने शिकायत कर दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उस महिला की शिकायत की जांच के निर्देश दिये। मुख्य न्यायधीश महोदय ने अपनी जांच में महिला की शिकायत को झूठा और बेबुनियाद पाया और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी।

रिपोर्ट के आधार पर और अन्य सब मानकों पर खरा पाकर, सुप्रीम कोर्ट ने उन सैशन जज को पदोन्नत करके कर्नाटका हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की अनुशंसा कर दी। लेकिन अपनी तानाशाही की और असहमति के सभी स्वरों को दबाने की अपनी आदत के अनुसार मोदी को यह मंजूर नहीं हुआ।

जब सरकार द्वारा पुनर्विचार की कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय नहीं बदला तो सरकार द्वारा एक और चाल चली गयी। उसने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को सीधा पत्र लिखकर उस सैशन जज के खिलाफ़ पुन: जांच करने को कहा। आजकल अमित शाह, साध्वी और योगी भोगी जितने भी लोगों के मुकदमों पर नये सिरे से विचार किया गया उनके फैसलों को देखकर साफ़ है कि यह सारा नाटक उनको बरी करने के लिये किया गया क्योंकि वे सभी मोदी के चेले चपाटे थे। तो मुख्य न्यायधीश को पुन: जांच के लिये लिखी चिट्ठी से साफ था कि मोदी जी चाहते हैं कि उस जज पर आरोप सिद्ध कर दिये जाय ताकि उसकी प्रमोशन ना हो पाये। और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने भी मोदी के आगे घुटने टेकते हुये दुबारा जांच के आदेश दे दिये।

इस सारे घटनाक्रम से नाखुश सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश श्री चेलमेश्वर ने मुख्य न्यायधीश को एक चिट्ठी लिखकर केन्द्र सरकार के कदम की आलोचना की। उधर सरकार ने यह कह कर अपनी काली करतूत को ठीक ठहराया कि शिकायती महिला ने सरकार से पुन: शिकायत की थी इसलिये सरकार ने दुबारा जांच के लिये कहा।

अरे भाई ईमानदारी के पुतले मोदी जी जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवा के प्रमोशन की सिफ़ारिश कर दी थी तो उसके बारे में किसी भी असहमति या शिकायत को आप सुप्रीम कोर्ट में विचार के लिये भेजते।

आपने चोरी-चुपके से नीचे से ही गलत रिपोर्ट लेने की कोशिश क्यों की? क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सारे मूर्ख बैठे थे कि जिसने उस जज की प्रमोशन के लिये दो-दो बार सर्वसम्मति से सिफ़ारिश की। मोदी जी आपकी इस हरकत के पीछे छिपे, उच्च अदालतों में ''अपने जजों'' को भरने के अपने नापाक इरादे को आप छिपा नहीं सकते।

ध्यान रहे कि इससे पहले भी केन्द्र सरकार एक वकील इन्दु मल्होत्रा के साथ उत्तराखंड के चीफ़ जस्टिस श्री जोसेफ़ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के मामले को लटकाये हुए है क्योंकि जोसेफ भी सरकार के 'अनुकूल' नहीं हैं। उधर जस्टिस चेलमेश्वर ने पत्रकार करन थापर से भेंटवार्ता में कहा है कि अगर जस्टिस रंजन गोगोई को अगला 'चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इन्डिया' नहीं बनाया गया (जिसके कि वो सिनियोरिटी के अनुसार हकदार हैं) तो हमारे डर सच साबित होंगे।

हालात तो यही लगते हैं कि मोदी सरकार पूरी बेशर्मी से जस्टिस चेलमेश्वर के डर को सच साबित करने जा रही है क्योंकि वो शायद उच्च अदालतों में भी, लोकसभा की तरह अपना बहुमत चाहती है। पूरा देश टकटकी लगाये देख रहा है कि क्या हमारे जज, न्याय की हमारी आशा को बरकरार रख पायेंगे या पड़ोसी देश मालदीव की तरह खुद अन्याय का शिकार होकर सरकार के कोप का भाजन बनेंगे।

आशा अभी टूटी नहीं है ...

इसी कड़ी में एक अन्य घटनाक्रम में गुरुवार को कोर्ट के ही जस्टिस कूरियन जोसेफ़ ने भारत के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा और अन्य सभी साथी जजों को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की एक मीटिंग बुलाने की मांग की है ताकि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम द्वारा प्रमोशन के लिये अनुमोदित निचले कोर्टों के जजों/वकीलों को सरकार द्वारा प्रमोट न करने पर विचार किया जा सके।

ध्यान रहे कि तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ़ और प्रख्यात वकील इन्दु मलहोत्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने की सिफ़ारिश की थी। जिस पर केन्द्र सरकार ने अभी तक अमल नहीं किया है। कूरियन ने यह भी लिखा है कि यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा।

दूसरी तरफ़ सुप्रीम कोर्ट के ही जज चेलामेश्वर ने गुरुवार को प्रशान्त भूषण की एक पी.आई.एल. सुनने से मना कर दिया। श्री प्रशान्त भूषण ने एक अर्जी देकर मुख्य न्यायाधीश के 'मास्टर ऑफ़ द रोस्टर' यानी मुकदमों के विभिन्न कोर्टों में बंटवारे करने के अधिकार पर सवाल उठाये थे। जज साहिब ने यह कहते हुये अर्जी सुनने से मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता कि 24 घण्टे में मेरा दिया निर्णय किसी और द्वारा पलट दिया जाय। ध्यान रहे कि चेलामेश्वर का इशारा कुछ महीने पहले उनके द्वारा दिये गये मेडिकल कॉलेज मामले की अपील को पांच सबसे सीनियर जजों की कोर्ट सुने जाने के फ़ैसले को चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच द्वारा पलटे जाने से था। चेलामेश्वर ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट के दो महीने बचे हैं। मैं शान्ति से रिटायर होना चाहता हूं।

जज साहब आप तो रिटायर हो जायेंगे लेकिन बेशर्म मोदी और उसके लगाये हुये लगुये-भगुओं से इस देश की जनता को कौन बचायेगा? कुछ कीजिए क्योंकि इस देश की जनता बड़ी आशा भरी नज़रों से मदद के लिये आपकी तरफ़ ताक रही है।

कूड़े से बिजली बनाने के सपने यानी जनता को फ़िर से ठगने की तैयारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) कुछ वर्ष पहले भी बंधवाड़ी गांव के रकबे में कूड़े से बिजली व कम्पोस्ट आदि बनाने के नाम पर एक ड्रामा किया गया था। उस पर 70 करोड़ से अधिक का खर्च नगर निगम ने किया था। असल में होना हवाना तो कुछ था ही नहीं क्योंकि वह सब पैसा हजम करने का खेल मात्र था; लिहाजा उस प्लांट में आग लगा कर 70 करोड़ की लागत का हिसाब बराबर कर दिया गया।

इस बार और भी मोटी रकम हड़पने के इरादे से उसी स्थान पर फ़िर से प्लांट लगाने की तैयारी कर ली गयी है। इस बार की लागत 550 करोड़ बताई जा रही है। इस प्लांट से 25 मेगावट बिजली प्रति दिन बनाने का सपना देखा जा रहा है जबकि दिल्ली में एक ऐसा ही प्लांट 24 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बना रहा है। यदि यह बिजली बन गयी तो इसे सात रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से नगर निगम को ही बेच दिया जायेगा।

यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि प्लांट की लागत चीन की संबंधित कम्पनी लगायेगी या नगर निगम। वैसे निगम के बजट में इस प्लांट एवं इसकी लागत का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु यह भी तय है कि कोई प्राइवेट कम्पनी निगम के चक्कर में फ़ंस कर इतनी बड़ी रकम डुबोने वाली भी नहीं हो सकती। हां एक पेच तो जरूर है इस धंधे में और वह 7 रुपये प्रति यूनिट का। विदित है कि हरियाणा सरकार गत कई वर्षों से एनटीपीसी व अडानी से 2-3 रुपये के भाव बिजली खरीदती आ रही है। यह भाव भी यदि बढ कर साढे तीन या चार रुपये हो गया हो तो भी सात रुपये से तो फ़िर भी आधा ही है। ऐसे में यदि कम्पनी कूड़े से बिजली नहीं भी बना पाई तो कोई बात नहीं। एनटीपीसी या अडानी से खरीद कर दुगने दामों पर निगम को बेच कर मोटा मुनाफ़ा तो बना ही लेगी।

सीवेज एवं सड़ने वाले कूड़े से गैस, बिजली व कम्पोस्ट खाद बनाने के अलावा शोधित जल को सिंचाई के लिये इस्तेमाल किया जाना आज कोई अजूबा नहीं रह गया है। दुनिया के कई देशों बल्कि भारत में भी कई स्थानों पर यह सब सफ़लतापूर्वक हो रहा है। परन्तु इसके लिये जो पारदर्शिता, ईमानदारी व लगन की आवश्यकता होती है वह कम से कम न तो इस नगर निगम में है और न ही यहां के राजनेताओं में। ले-देकर यहां तो सबका एक ही उद्देश्य है शीघ्रातिशीघ्र पहले अपनी जेब भरना बाकी सब बाद में।

निगमायुक्त को भी नज़र आने लगी टैक्स क्लेक्शन की चोरी

फ़रीदाबाद (म.मो.) 'मज़दूर मोर्चा' के 1 से 7 अप्रैल अंक में नगर निगम के बजट की बखिया उधेड़ते हुए लिखा गया था कि निगम की असल अनुमानित कमाई तो 687 करोड़ है बाकी सब फ़र्जीवाड़ा है। लेकिन इसी असली कमाई में लगने वाली सेंध को रोका जाय तो यही कमाई दुगणी-तिगणी हो सकती है। लगता है निगमायुक्त मोहम्द शाहीन को यह बात कुछ हद तक समझ में आ गयी है। इसके मद्देनज़र अब टैक्स कलेक्शन पर ज़्यादा सतर्कता बरती जाने की योजना बनाई जा रही है। समझा जा रहा है कि इससे 500 करोड़ तक की आय अकेले गृह कर यानी जायदाद टैक्स से होगी। इसके लिये पूरा डाटा तैयार कर लिया गया है। अब तक जो बाबू आंकड़ों की हेराफ़ेरी के द्वारा टैक्स चोरी कराते थे उन पर नकेल कसी जा सकेगी।

अच्छी बात है टैक्स कलेक्शन पर नकेल कसने से निगम की आय तो बढ जायेगी। लेकिन उस बढी हुई आय को डकारने वाले उन लकड़बग्घों की नकेल कौन कसेगा जिनका एकमात्र उद्देश्य निगम की आय में सेंधमारी करना है। लाखों-करोड़ों का माल केवल इसलिये खरीद कर डाल दिया जाता है ताकि मोटा कमीशन अफ़सरों व राजनेताओं की जेबों में जाता रहे। इस तरह के अनेकों सामान जगह-जगह बरसों से पड़े गल रहे हैं।

हरामखोरी का दूसरा आलम यह है कि पहले सड़क बनाते हैं फ़िर सीवर लाइन डालने के लिये उसे उखाड़ते हैं। टेंडर में जिस गुणवत्ता और मात्रा का माल लगाना तय होता है, दोनों में ही भयंकर हेराफ़ेरी कराई जाती है ताकि अफ़सरों व राजनेताओं की कमीशन अथवा लूट कमाई अधिकाधिक हो सके। इसी हरामखोरी के चलते हर साल दो साल में बनी बनाई सड़क गायब हो जाती है जिसे फ़िर उसी हेराफ़ेरी से बनाया जाता है। और यह सिलसिला चलता रहता है जिसे विकास का नाम दिया जाता है।

रही सही कसर अधिकारियों की लम्बी-चौड़ी फ़ौज और उसके ऊपर सलाहकारों की टोली अलग से । इतना ही नहीं कभी सर्वे तो कभी काम करने के ठेके देशी-विदेशी कम्पनियों को दे दिये जाते हैं। इसके बाद भी यदि निगम की ऐसी-तैसी होने में कोई कसर बाकी रह गयी हो तो उसे देशी-विदेशी यात्राओं पर बेजा खर्च करके पूरा किया जाता है।

कल तक जो निर्माण अवैध थे आज हो गये वैध

फ़रीदाबाद (म.मो.) आमतौर पर कोई भी भवन निर्माण करने वाला अवैध काम करना नहीं चाहता। लेकिन यह भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था लोगों को अवैध निर्माणों के लिये प्रेरित करती है। कोई नक्शा पास करवाने जाये तो अधिकारी नक्शा पास करने का रास्ता इतना कठिन बना देते हैं कि उसे बिना नक्शे के ही निर्माण करना पड़ता है। इसके साथ ही शुरू हो जाता है निगम अधिकारियों की लूट का सिलसिला। इतना ही नहीं नक्शा पास करा कर तथा तमाम औपचारिकतायें पूरी करने के बाद कौनसी गारंटी है कि निगम वाले मकान नहीं तोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर गत माह हार्डवेयर चौक के निकट एक नम्बर डी ब्लॉक में हुई तोड़ फ़ोड़ का विस्तृत विवरण **'मज़दूर मोर्चा'** के 4-10 मार्च के अंक में प्रकाशित किया गया था।

इसी तरह सीएलयू का धंधा है। घरेलू प्लॉटों पर व्यापारिक गतिविधियां चलाने के लिये निगम वैसे तो परमीशन देता नहीं परन्तु अवैध रूप से बन जाने देता है और फ़िर उसके बाद शुरू होता है अधिकारियों व राजनेताओं की लूट का सिलसिला।

पांच नम्बर में बना बिट्टू टिक्की वाला तो इसका एक जीता जागता उदाहरण मात्र है। दो नम्बर में नेक्सा (कार) शोरूम भी इसी तरह का उदाहरण है। ऐसी सैंकड़ों मोटी-मोटी आसामियां हैं जिन्होंने निगम अफ़सरों के हाथों रोज़-रोज़ लुटने के बजाय एक ही दिन सीधे स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन से सौदा पटा लिया।

इसी तरह अवैध निर्माण करने वाले पेशेवर बिल्डर भी आजकल सुसंगठित हो चुके हैं। उन्होंने भी आये दिन अधिकारियों व छुटभैये नेताओं के हाथों लुटने की बजाय सीधे मंत्री से ही सौदा निपटा लिया। अकेले फ़रीदाबाद में ही ऐसे हज़ारों निर्माण हैं। शेष हरियाणा में इनकी संख्या लाखों पार करेगी। इस सौदे में मंत्री व भाजपा की जेब तो गर्म होगी ही, सरकार के खजाने में भी कुछ चिल्लर आ जायेगी। वैसे भी चुनाव अब बहुत दूर नहीं रह गये हैं। ऐसे में धन बैंक व वोट बैंक दोनों की ही जरूरत है सरकार को।

दिल्ली में जो आजकल सीलिंग का ड्रामा देखने को मिल रहा है उसके पीछे भी राजनेताओं द्वारा खेला गया ऐसा ही खेल है। इस खेल में पूरी दिल्ली की सूरत बिगाड़ कर रख दी। सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि दिल्ली को मवेशियों का तबेला तो नहीं बनाया जा सकता! ठीक वही काम फ़रीदाबाद में भी चल रहा है।

सन 1948 में इस एनआईटी शहर का नक्शा बनाने वाले ने 50-फ़ीट की गलियां व 100 से 200 फ़ीट की सड़कें छोड़ी थी जो आज नेताओं द्वारा कराये गये अतिक्रमणों की बदौलत इतनी भीड़ी हो गयी हैं कि हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। देखना है कि यहां कब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलता है।